सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 माघ, 1944 (श०)

संख्या – 42 राँची, बुधवार, 25 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

9 दिसम्बर, 2022

संख्या-03/मुकदमा-03-04/2022 का॰ 7951--श्री सुधीर कुमार दास, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-741/03) के द्वारा दिनांक 11.01.2016 के प्रभाव से अथवा उन पर अधिरोपित दण्ड के समाप्ति की तिथि से अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या WP(S)No.1895/2020 सुधीर कुमार दास बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया ।

2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(S) No.1895/2020 सुधीर कुमार दास बनाम झारखण्ड राज्य में दिनांक 08.10.2020 को पारित न्यायादेश के अनुपालन से संबंधित है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत हैः-

"In view of the above facts and considering the submissions of the learned counsels appearing for the parties, it appears that although the petitioner has already filed the representation in the year 2019, but in view of the submission of the learned counsel for the respondent State, the petitioner is further directed to file a fresh representation before the respondent no.2 within a period of two weeks annexing all the credentials on which the petitioner is relying for such consideration. If such a representation is filed by the petitioner within the aforesaid period, the respondent no.2 shall consider the case of the petitioner in accordance with the rules, regulations and the guidelines for promotion and will pass an appropriate reasoned order within a period of eight weeks thereafter and will take steps so that the matter of the petitioner may be placed before the D.P.C for its consideration."

3. उल्लेखनीय है कि श्री दास के विरूद्ध संकल्प संख्या 2089 दिनांक 02.03.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा विभागीय संकल्प संख्या 3575 दिनांक 20.04.2015 द्वारा दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया। दिनांक 17.07.2014 एवं 24.04.2015 को सम्पन्न सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री दास के संबंध में मुहरबंद प्रक्रिया अपनाई गई तथा दिनांक 04.01.2016 को अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में दण्ड प्रभावी रहने एवं अद्यतन सम्पत्ति विवरणी अप्राप्त रहने के फलस्वरूप प्रोन्नति के अयोग्य के अनुशंसा की गई।

4. दिनांक 04.01.2016 को सम्पन्न बैठक के उपरांत सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न हुई, जिसमें श्री दास के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 132 दिनांक 07.01.2019 द्वारा एक अन्य मामले में पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के फलस्वरूप प्रावधान के अनुसार मुहरबंद प्रक्रिया अपनाई गई है।

5. विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका-2(vii) में निम्नांकित प्रावधान हैः-

"यदि अनुशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप सरकारी सेवक को कोई दण्ड दिया जाता है अथवा उसके विरूद्ध आपराधिक अभियोजन में उसे दोषी पाया जाता है, तो उस स्थिति में मुहरबंद लिफाफे नहीं खोले जाएंगे और उसकी प्रोन्नति के मामले पर सामान्यतः उसे दिये गए दण्ड को ध्यान में रखते हुए अगली विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में विचार किया जाएगा।'

6. उल्लेखनीय है कि WP(S) No.1895/2020 सुधीर कुमार दास बनाम झारखण्ड राज्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2020 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में दिनांक 11.02.2021 को सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न की गई, जिसमें समिति के द्वारा श्री दास के मामले में निम्नांकित अनुशंसा की गई :-

"श्री सुधीर कुमार दास के संबंध में दिनांक 04.01.2016 को सम्पन्न प्रोन्नति समिति द्वारा दण्ड प्रभावी रहने तथा अद्यतन सम्पत्ति विवरणी अप्राप्त रहने के फलस्वरूप प्रोन्नति के अयोग्य की अनुशंसा की गई तथा उक्त बैठक के उपरांत पुनः समिति की बैठक दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न हुई। पदाधिकारी के प्रोन्नति के संबंध में प्रोन्नति समिति की बैठक में विचार किया जाता है। श्री दास को अधिरोपित दण्ड की समाप्ति तथा पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के मध्य बैठक सम्पन्न नहीं हो पाने के फलस्वरूप इन्हें किसी भूतलक्षी तिथि से प्रोन्नति देय नहीं है।"

7. सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की उक्त अनुशंसा के आलोक में सक्षम स्तर से सम्यक विचारोपरांत श्री सुधीर कुमार दास को किसी भूतलक्षी तिथि के प्रभाव से अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया गया है ।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त निर्णय को संदर्भित करते हुए WP(S) No.1895/2020 में दिनांक 08.10.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री सुधीर कुमार दास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 741/03) द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 21.10.2020 का निस्तार किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 42 -- 50